इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 जनवरी 2016—पौष 24, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2016

क्र. 816-13-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 12 जनवरी 2016 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ४ सन् २०१६

मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१५

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.

२. धारा २ का संशोधन.

३. धारा ९-क क का अंतःस्थापन.

४. धारा १७ का संशोधन.

५. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ४ सन् २०१६

मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१५

[दिनांक १२ जनवरी, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १४ जनवरी, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१५ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में,—

(एक) खण्ड (ण) में, शब्द और अंक "धारा ९" के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर "या ९-क क" अंत:स्थापित किए जाएं.

(दो) खण्ड (भ) में, उप-खण्ड (तीन) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(चार) धारा ९-क क के अधीन अतिरिक्त कर के रूप में संगृहीत की गई रकम;"

धारा ९-क क का अंत:स्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा ९-क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण.

"९-क क. (१) धारा ९ एवं ९-क में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, घोषित माल से भिन्न, अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट ऐसे माल के विक्रय पर, वजन, मात्रा, मापन या इकाई के आधार पर, ऐसी दर से, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अतिरिक्त कर उद्गृहीत किया जाएगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन उद्गृहीत अतिरिक्त कर के संबंध में, धारा 14 के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.".

धारा १७ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १७ में उपधारा (३) में, शब्द, "ऐसे आवेदन के साथ, आवेदन में दी गई विशिष्टियों के समर्थन में एक शपथ-पत्र होगा और उसके साथ रजिस्ट्रीकरण फीस, जैसी कि विहित की जाए, के विहित रीति में भुगतान का समाधानप्रद सबूत दिया जाएगा." का लोप किया जाए.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

५. (१) मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१५ (क्रमांक ६ सन् २०१५) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2016

क्र. 816-13-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2015 (क्रमांक 4 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 4 OF 2016

THE MADHYA PRADESH VAT (SECOND AMENDMENT) ACT, 2015

TABLE OF CONTENTS

Sections:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 2.
3. Insertion of Section 9-AA.
4. Amendment of Section 17.
5. Repeal and saving.

MADHYA PRADESH ACT

No. 4 OF 2016

THE MADHYA PRADESH VAT (SECOND AMENDMENT) ACT, 2015

[Received the assent of the Governor on the 12th January, 2016; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 14th January, 2016].

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vat Act, 2002.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-sixth year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vat (Second Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), (hereinafter referred to as the principal Act),—

(i) in clause (o), after the word and figure "Section 9", the word, figure and letters "or 9-AA" shall be inserted;

(ii) in clause (x), after sub-clause (iii), the following sub-clause shall be added, namely:—

"(iv) The amount collected by way of additional tax under Section 9-AA;".

Insertion of Section 9-AA.

3. After Section 9-A of the principal Act, the following Section shall be inserted, namely:—

Levy of additional tax.

"9-AA. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 9 and 9-A, there shall be levied additional tax, based on weight, volume, measurement or unit, on the sales of such goods specified in Schedule II, other than declared goods, at such rate as may be notified by the State Government.

(2) The provisions of Section 14 shall mutatis mutandis apply to the additional tax levied under sub-section (1).".

Amendment of Section 17.

4. In Section 17 of the principal Act, in sub-section (3), the words "Such application shall be accompanied by an affidavit in support of the particulars given in the application and also a satisfactory proof of payment of a registration fee, as may be prescribed in the prescribed manner." shall be omitted.

Repeal and saving.

5. (1) The Madhya Pradesh Vat (Second Amendment) Ordinance, 2015 (No. 6 of 2015) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.